

क्रमांक 4211/9/2018-19
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
भोपाल - 462 003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID- cao.eincwrdbpl@gmail.com

भोपाल, दिनांक 2 मई, 2018

प्रति,

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1/ आयुक्त भू-अर्जन एवं पुनर्वास
बाणसागर परियोजना रीवा | 2/ समस्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, म0प्र0 |
| 3/ समस्त अधीक्षण यंत्री जल संसाधन
विभाग म0प्र0 | 4/ समस्त कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग म0प्र0 |


विषय :- आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के अंतर्गत रिसीप्ट एण्ड डिसवर्समेंट (R&D) मॉड्यूल को गो-लाइव करने के संबंध में ।

संदर्भ :- संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल का क्रमांक डीटीए/आईएफएमआईएस/आरआरडी/गो-लाइव/2018/35 दिनांक 28/04/2018 ।

विषयान्तर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार दिनांक 01 मई 2018 से कोषालय के माध्यम से समस्त देयको का भुगतान हेतु सी.एस.एफ.एम.एस. में प्रस्तुति बंद की जाकर आई.एफ.एम.आई.एस में प्रस्तुति एवं कोषालय स्तर पर पारित तथा भुगतान करने का कार्य किया जायेगा ।

कृपया संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल के पत्र दिनांक 28/04/2018 के कंडिका 2, 3 एवं 4 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार निर्देश
दिनांक 28/04/2018


(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग


भोपाल : दिनांक 2 /05/18

पृ.क्र. 4211/9/2018-19

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विभाग भोपाल ।
2. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. वेब मैनेजर जारी पत्र विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

सहपत्र - एक


(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश

—0—

क्रमांक—डीटीए/IFMIS/R&D/गो—लाईव/2018/35
प्रति,

भोपाल दिनांक 28.04.2018

समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

विषय :-आई0एफ0एम0आई0एस0 परियोजना के अंतर्गत रिसीप्ट एण्ड डिसवर्समेंट (R&D) मॉड्यूल को गो—लाईव करने के संबंध में।

आई0एफ0एम0आई0एस0 परियोजना के अंतर्गत 3 सब सिस्टम तथा 16 मॉड्यूल है जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रदर्शित है। उक्त मॉड्यूल में से स्ट्रांग रूम, ईएसएस, पे—रोल, बजट एवं प्लॉन मॉड्यूल के पायलट समाप्त होकर लाईव किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सर्विस मेटर के अंतर्गत वेतन निर्धारण माड्यूल लाईव किया जा चुका है।

2— शेष मॉड्यूल में से "रिसीप्ट एण्ड डिसवर्समेंट" मॉड्यूल का पायलट विदिशा जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से किया जा चुका है। पायलट सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जा चुका है पायलट के उपरान्त समस्त जिलों में रिसीप्ट एण्ड डिसवर्समेंट मॉड्यूल को गो—लाईव किया जाना है। समस्त जिला कलेक्टर द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं पायलट के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिसके अनुसार दिनांक 27.04.2018 तक समस्त आहरण अधिकारियों, कोषालय स्टॉफ एवं जिलास्तरीय तकनीकी दल को ई—दक्ष केन्द्र में प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी। समस्त जिलों में 01 मई 2018 से कोषालय के माध्यम से समस्त देयकों को भुगतान हेतु सी0एस0एफ0एम0एस0 में प्रस्तुती बंद की जाकर आई0एफ0एम0आई0एस0 में प्रस्तुती एवं कोषालय स्तर पर पारित तथा भुगतान करने का कार्य किया जायेगा।

3— कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को निम्नोक्त निर्देश जारी करने का कष्ट करें :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ.11-25/2017/1/9 दिनांक 11.07.2017 के अनुसार शासकीय सेवकों के अवकाश, प्रभार एवं अन्य दावे व आवेदन तथा उनकी स्वीकृति का कार्य आई0एफ0एम0आई0एस0, के ईएसएस माड्यूल का उपयोग करते हुये अनिवार्यतः ऑनलाईन सम्पन्न किया जायें।
- (ii) प्रत्येक कार्यालय में जिस प्रकार वेतन निर्धारण, पे—रोल एवं ईएसएस की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हायरार्की (Hierarchy) बनाई गई है, उसी प्रकार "डिपाजिट" एवं "रिसीप्ट एवं डिसवर्समेंट" माड्यूल के लिये हायरार्की (Hierarchy) संबंधित कार्यालय के "एडमिन" द्वारा की जाना सुनिश्चित की जावे।
- (iii) दिनांक 01.05.2018 से समस्त प्रकार के देयक आई0एफ0एम0आई0एस0 में उसी प्रकार जनरेट किये जाये जिस प्रकार वर्तमान में वेतन देयक जनरेट किये जा रहे हैं तथा कोषालय में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाये।

4- यह स्पष्ट किया जाना उपयुक्त है कि साफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न देयकों को बनाने एवं उनके पारितीकरण की प्रक्रिया में आंशिक परिवर्तन हो रहा है, परन्तु नियम एवं निर्देशों में अथवा देयकों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।


आयुक्त

कोष एवं लेखा

भोपाल दिनांक 28.04.2018

क्रमांक-डीटीए/IFMIS/R&D/गो-लाईव/2018/36

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0, भोपाल।
6. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, म0प्र0, इन्दौर।
7. विशेष सहायक/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री म0प्र0, शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग म0प्र0, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म0प्र0 जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
11. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, प्रोफेशनर एकजामिनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
14. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय म0प्र0, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
16. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना 7(1), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
18. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


आयुक्त

कोष एवं लेखा